



भारतसरकार,
कर्मचारीचयनआयोग,
कार्मिक, लोकशिकायतऔरपेंशनमंत्रालय,
ब्लॉकसं 12, केन्द्रीयकार्यालयपरिसर,
लोधीरोड, नईदिल्ली - 110003

Government of India,
Staff Selection Commission
Min. of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

विज्ञप्ति

मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ एवं हवलदार (सीबीआईसी एवं सीबीएन) परीक्षा, 2023

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथियां	30.06.2023 से 21.07.2023
आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय	21.07.2023 (23:00 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि तथा समय	22.07.2023 (23:00 बजे)
ऑफलाइन चालान को तैयार करने की अंतिम तिथि तथा समय	23.07.2023 (23:00 बजे)
चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान)	24.07.2023
'आवेदन-पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' एवं सुधार राशि के ऑनलाईन भुगतान की तिथियां	26.07.2023 से 28.07.2023 (23:00 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	सितंबर, 2023

"सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो."

फा.सं. मु.-नी.यो।03/12/2023-नी. एवं यो.।. कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों और विभिन्न संवैधानिक निकायों / सांविधिक निकायों / न्यायाधिकरणों आदि में सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय पद में **मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ** (सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-1 में) और राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एवं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) में सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय पद में **हवलदार** (सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-1 में) की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा।

2. रिक्तियां

2.1 पदों की अनंतिम रिक्तियां इस प्रकार हैं:

मल्टी टास्किंग स्टाफ : 1198 (लगभग) #
सीबीआईसी एवं सीबीएन में हवलदार : 360*

रिक्तियों की अद्यतन स्थिति / विस्तृत विवरण, आयोग की वेबसाइट ([https://ssc.nic.in->candidate's corner->Tentative vacancy](https://ssc.nic.in->candidate's%20corner->Tentative%20vacancy)) पर उपलब्ध कराई जाएगी।

* सीबीआईसी एवं सीबीएन में हवलदार रिक्तियों का ब्योरा **अनुबंध-XVIII** पर दिया गया है।

3. आरक्षण:

- 3.1 अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू एस), भूतपूर्व सैनिकों (भूपूसै) एवं बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) इत्यादि श्रेणियों के लिए आरक्षण मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार होगा ।
- 3.2 आयोग विभिन्न पदों के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी प्रयोक्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या का निर्णय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव करना तथा विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना प्रयोक्ता विभागों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है।

4. बेंचमाक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अनुज्ञेय अशक्तता :

- 4.1 मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ पद निम्नलिखित बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पाए गए हैं :

पद का नाम	कार्यात्मक आवश्यकता	बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए उपयुक्त श्रेणी
मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ	बै., ख., च., झु., प.लि., दे., सु., सं.	(क) नेही, अट्ट (ख) ब., श्र.दि. (ग) ए.बां., दो.बां., ए.पै., दो.पै., ए.बां.पै., प्र.प्र., अ.कु., बौ., ए.ह.पी., मां.दु., री.वि./न्यूरोलॉजिकल/अंग अक्रियाशीलता के बिना री.चो. (घ) ऑ.स्पे.वि (ह.,म.), बौ.दि., वि.अ.दि., मा.रु. (ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) में शामिल बहु दिव्यांगताएं।

- 4.2 सीबीआईसी एवं सीबीएन में हवलदार के पद के लिए दिव्यांगताओं, कार्यात्मक वर्गीकरण और कार्य निष्पादन हेतु शारीरिक अपेक्षाओं का ब्योरा निम्नानुसार है:

पद	कार्यात्मक आवश्यकता	बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए उपयुक्त श्रेणी
हवलदार	बै., ख., च., झु., घु.टे.झु., उ. दे., उं.च., प. लि., सु., सं.	(क) श्र.दि. (ख) ए.बां., ए.पै., ए.बां.पै., अ.कु., ए.ह.पी. (ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) में शामिल बहु दिव्यांगताएं ।

प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द :

शारीरिक अपेक्षाएं : बै.=बैठना, ख=खड़ा होना, च=चलना, झु. = झुकना, प. लि. = पढ़ना और लिखना, दे=देखना, सु=सुनना, सं. = संप्रेषण, घु.टे.झु = घुटने टेकना और झुकना, उ. = उठाना, उ.च = उंगलिया चलाना

शारीरिक दिव्यांगताओं की प्रकृति : नेही = नेत्रहीन, अ.द. = अल्प-दृष्टि, ब. = बधिर, श्र.दि. = श्रवण दिव्यांग, ए.बा. = एक बांह प्रभावित, दो.बा. =दोनों बांह प्रभावित, ए.पै. =एक पैर प्रभावित, दो.पै. =दोनों पैर प्रभावित, ए.बा.पै. = एक बांह और एक पैर प्रभावित, प्र.प. =प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अ.कु. =अभिसाधित कुष्ठ, बौ. =बौनापन, ए.ह.पी. =एसिड हमले के पीड़ित, मा.दु. = मांसपेशीय दुर्विकास, री.वि. = रीढ़ की हड्डी का विकार, री.चो. = रीढ़ की हड्डी की चोट, ऑ.स्पे. वि. = ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार ((ह =हल्का, म.= मध्यम), बौ.दि. = बौद्धिक दिव्यांगता, वि.अ.दि.= विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता, मा.रु. = मानसिक रुग्णता

5. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

5.1 अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व टंजानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

5.2 बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ड.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है ।

5.3 ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

6. आयु सीमा: (दिनांक 01.08.2023 की स्थिति के अनुसार)

6.1 आयु की गणना करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-07-1988 के का.ज्ञा.सं. 14017/70/87-स्था.(भ.नि.) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, महत्वपूर्ण तारीख 01-08-2023 निर्धारित की गई है। विभिन्न प्रयोक्ता विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार इन पदों के लिए आयु सीमाएं निम्नानुसार हैं:-

6.1.1 केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (राजस्व विभाग) में मल्टी टास्किंग स्टॉफ और हवलदार के लिए 18 से 25 वर्ष (अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1998 से पहले और 01.08.2005 के बाद न हुआ हो)

6.1.2 सीबीआईसी (राजस्व विभाग) में हवलदार और कुछ मल्टी टास्किंग स्टॉफ पदों के लिए 18 से 27 वर्ष (अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1996 से पहले और 01.08.2005 के बाद न हुआ हो)

6.2 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार हैं :-

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट
1.	अजा / अजजा	05 वर्ष
2.	अपिव	03 वर्ष
3.	बेंचमार्क दिव्यांगजन (अनारक्षित)	10 वर्ष
4.	बेंचमार्क दिव्यांगजन (अपिव)	13 वर्ष
5.	बेंचमार्क दिव्यांगजन (अजा / अजजा)	15 वर्ष
6.	भूत पूर्व सैनिक (भूपूसै)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि

		घटाने के बाद 03 वर्ष
8.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रव ग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणाम स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
9.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रव ग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणाम स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा / अजजा)	08 वर्ष
10.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी : जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
11.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी : जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो (अजा / अजजा)	45 वर्ष की आयु तक
12.	विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं, जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13.	विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं, जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा / अजजा)	40 वर्ष की आयु तक

- 6.3 **आयोग द्वारा आयु के निर्धारण के लिए अभ्यर्थी की वही जन्मतिथि स्वीकार की जाएगी जो उसने ऑनलाइन आवेदन में भरी है और वही मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी तथा जन्मतिथि के मेल न खाने के आधार पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।**
- 6.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके समूह 'ग' एवं 'घ' में सिविल पदों पर नियमित सरकारी नौकरी पहले से ही प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, जैसाकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) में उल्लिखित है कि यदि उन्होंने सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वः घोषणा करता है / करती है / वचन देता है / वचन देती है तो वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.5 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।
- 6.6 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद / सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि अर्थात् 21-07-2024 से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्ति की

अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए।

6.7 **स्पष्टीकरण:** भूतपूर्व सैनिक से आशय उस व्यक्ति से है-

6.7.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

6.7.1.1 जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवा मुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ हो या निर्मुक्त हुआ हो या छोड़ा गया हो; या

6.7.1.2 जिसे सैनिक सेवा या अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या

6.7.1.3 जिसे कर्मचारियों की संख्या में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

अथवा

6.7.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी; अथवा

6.7.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

6.7.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

6.7.5 प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ;

अथवा

6.7.6 भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निशक्तता पेंशन दी गई है।

6.8 **भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट / भू.पू.सै. आरक्षण अनुज्ञेय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।**

7. **प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:**

7.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा मांगे जाने पर, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। अन्यथा अजा / अजजा / अपिव / आकव / बे.दि. / भूपूसै के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अधीन जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र को अस्वीकार का दिया जाएगा।

7.2 अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इस तरह के प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं, जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। **यदि आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए मांगकर्ता विभाग / संगठन द्वारा किसी अभ्यर्थी को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।**

उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी X ने अपने आवेदन पत्र में ओबीसी भरा। तथापि, मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान, वह वैध ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में, मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा X की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

7.3 बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी नोट कर लें कि उन्हें आवेदनपत्र भरते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने दिव्यांगता प्रमाणपत्र के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त उपश्रेणी अर्थात् अदि / श्रदि / ददि / दिव्यां –अन्य का चयन करना चाहिए। बाद में किसी भी परिस्थिति में बे.मा.दि. की उपश्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदनपत्र में की गई घोषणा के अनुसार, दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जैसाकि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III, दिनांकित 04.01.2021 में इंगित किया गया है, प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिव्यांगता / दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे ए.बा., ए.पै., दो.पै., बौ., मा.रू., वि.अ.दि. इत्यादि) का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में भरी गई बेंचमार्क दिव्यांगता से संबंधित उप-श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण मांगकर्ता विभाग / संगठन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अभ्यर्थी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इस संबंध में आयोग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

7.4 अजा / अजजा / अपिव / आकव / बे.दि. / भूपूसै स्थिति या किसी अन्य लाभ नामतः शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् 21-07-2023 होगी।

7.5 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति / समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता / आती है।

7.6 आकव के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आर.), दिनांकित 31.01.2019 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है।

7.7 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव / आकव / बे.दि. / भूपूसै दर्जे का दावा करते हैं अथवा अन्य कोई लाभ लेते हैं, तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

8. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता :

8.1 दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित - दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है।

8.2 बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की शेष श्रेणियों के मामले में, **अनुबंध-I** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देख रेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

8.3 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 10.08.2022 के ज्ञापन संख्या 29-6/2019-डीडी-III अनुसार 40% से कम दिव्यांगता वाले और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई हो, को प्रलिपिक की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। **अनुलग्नक- I** के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ये सुविधा प्रदान की जाएगी।

8.4 बेंचमार्क दिव्यांगजन / दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रलिपिक / पाठ वाचक की सुविधा सिर्फ तभी प्रदान की जाएगी अगर उन्होंने ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में इस विकल्प का चयन किया हो।

8.5 अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैया करवाए गए प्रलिपिक की सुविधा को चुनने का विवेकाधिकार होगा। ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी को इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।

8.6 यदि अभ्यर्थी आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाता है तो आयोग केवल हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम का प्रलिपिक ही उपलब्ध करायेगा, यदि अभ्यर्थी को हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम के प्रलिपिक की आवश्यकता हो तो उसे अपने स्क्राइब प्रलिपिक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

8.7 यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वयं के प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उपर्युक्त पैरा 8.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र एवं स्वयं का प्रलिपिक का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को **अनुबंध-III** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा के समय अपने प्रलिपिक के संबंध में विवरण देना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध

पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा 15.7 पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। **अनुबंध-II / अनुबंध-II क** पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।

- 8.8 यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो वह प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी प्रलिपिक के रूप में दूसरे बेंचमार्क दिव्यांगजन / दिव्यांगजन अभ्यर्थी की सहायता करते हुए पाया जाता है तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 8.9 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 8.1, 8.2 और 8.3 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, तो उन्हें परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 8.10 उपरोक्त पैरा 8.1, 8.2 और 8.3 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 8.11 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के साथ प्रलिपिक के अलावा किसी अन्य परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 8.12 एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लेंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-पत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धक लेंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लेंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लेंस लाना होगा।
- 8.13 बेंचमार्क दिव्यांगजन / दिव्यांगजन अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक की सुविधा और / अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें प्रयोक्ता विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक / अतिरिक्त समय की उनकी पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थनकारी दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

9. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता: (दिनांक 01.08.2023 की स्थिति के अनुसार)

- 9.1 अभ्यर्थी को कट ऑफ तारीख या उससे पहले अर्थात् 01.08.2023 तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।
- 9.2 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई समस्त डिप्लोमा / डिग्रियां / प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्रियां उस संगत समय के दौरान मान्य न हों जब अभ्यर्थी ने उन्हें अर्जित किया है, उन्हें शैक्षिक योग्यता के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 9.3 अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के प्रयोजनार्थ मांगे जाने पर, अभ्यर्थियों को अनुबंधित समय-सीमा अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध मूल प्रमाण पत्र जैसे माध्यमिक या समकक्ष की अंक तालिकाएं / अंतिम प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 9.4 वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तारीख को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा। **यह पुनः बताया जाता है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का परिणाम बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण अंतिम तिथि के पहले परिणाम की महज प्रक्रिया शुरू होने से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकताएं पूरा नहीं होती हैं।**
- 9.5 समकक्ष शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त संगत समकक्षता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्रयोक्ता विभागों / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

10. आवेदन कैसे करें :

- 10.1 आवेदनों को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करना अपेक्षित है। विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-III** और **अनुबंध-IV** को देखें। एकबारगी पंजीकरण प्रपत्र और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को **अनुबंध-III क** और **अनुबंध-IV क** के रूप से संलग्न किया गया है।
- 10.2 ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य के मामले [2018 की रिट याचिका (सि) सं. 234] में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.03.2020 के आदेश के अनुसरण में **फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे का होना चाहिए। सामने का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।**
- 10.3 अभ्यर्थी आवेदनपत्र जमा करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि फोटोग्राफ दिए गए निर्देशों के अनुसार ही अपलोड की गई है। अगर अभ्यर्थी द्वारा सही फोटो अपलोड नहीं की जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत अथवा रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के जो नमूने स्वीकार्य/ अस्वीकार्य हैं, **अनुबंध- V** में चित्रित किए गए हैं।
- 10.4 ऑनलाइन आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय 21.07.2023 (23:00 बजे) है।
- 10.5 अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक दबाव होने के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर लॉग-इन करते समय संपर्क न होने / संपर्क करने में असमर्थता अथवा असफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें तथा अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।

10.6 यदि अभ्यर्थी पूर्वकथित कारणों अथवा आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अपने आवेदन अंतिम तिथि के भीतर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो इसके लिए आयोग किसी उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करेगा।

10.7 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को पूर्वावलोकन / प्रिंट विकल्प के द्वारा यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।

11 आवेदनशुल्क :

11.1 देयशुल्क: 100/-रूपए (एक सौ रूपए मात्र)।

11.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों और आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

11.3 शुल्क का भुगतान भीम, यू.पी.आई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड का उपयोग करके अथवा भारतीय स्टेट बैंक का चालान तैयार करके भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में नगद भुगतान करके किया जा सकता है।

11.4 ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने की सुविधा **22.07.2023 (23:00 बजे)** तक उपलब्ध होगी। तथापि, वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से नगद भुगतान करना चाहते हैं, वे **24.07.2023** तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में नगद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने **23.07.2023 (23:00 बजे)** तक चालान तैयार कर लिया है।

11.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कचआ में जमा हो गया है। यदि कचआ को शुल्क प्राप्त नहीं होती है तो आवेदन पत्र की स्थिति '**अपूर्ण (Incomplete)**' दर्शाई जाती है तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉगइन स्क्रीन पर उपलब्ध कराए गए लिंक "Payment Status" पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण अभी भी अपूर्ण है, उन्हें **सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा तथा परीक्षा की विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.6 एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा।

12. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [26.07.2023 से 28.07.2023 (23:00 बजे)]:

12.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन परिमाणों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

12.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित

सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 12.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।
- 12.4 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए 200/- रूपए की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- रूपए की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो ।
- 12.5 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- 12.6 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 12.7 लागू सुधार राशि की प्राप्ति के अधीन, नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 12.8 यदि लागू सुधार राशि कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदन पत्र की स्थिति अपूर्ण 'Incomplete' दर्शाई जाएगी तथा यह सूचना आवेदन पत्र के शीर्ष पर प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और पहले जमा किए गए आवेदन ही वैध रहेंगे।
- 12.9 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उसने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

13. परीक्षाकेन्द्र

- 13.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदनपत्र में केंद्र (केंद्रों) को इंगित करना होगा जिसमें वह परीक्षा देने का / की इच्छुक है। परीक्षा केंद्रों के ब्योरे तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम, जिनके क्षेत्राधिकार में ये केंद्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते / वेबसाइट
----------	-------------------------------	--	---------------------------------------

		अधीन राज्य / संघ शासित राज्य	
1.	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013), सीतापुर (3019), गया (3203)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) / बिहार और उत्तरप्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज -211 001 http://www.ssc-cr.org
2.	पोर्टब्लेयर (4802), धनबाद (4206), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (ओडिशा) (4601), बेहरामपुर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), राऊरकेला (4610), सम्बलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), बर्दवान (4404), दुर्गापुर (4426), कल्याणी (4419), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415), धेनकेनाल (4611),	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 www.sscer.org
3.	बेलागवी (9002), बेंगलूरु (9001), हुबली (9011), कलबूरगी (गुलबर्गा) (9005), मेंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवामोगा (9010), उडुपी (9012), एरणाकुलम (9213), कोल्लम (9210), कोट्टयम (9205), कोझिकोड (9206), त्रिशूर (9212), तिरुवनंतपुरम (9211), कावारत्ती (9401)	कर्नाटक, केरलक्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई"विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला बेंगलूरु, कर्नाटक-560034 www.ssckkr.kar.nic.in
4.	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग- भिलाई (6205)।	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) / छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 www.sscmpr.org
5.	इटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), इम्फाल (5501), शिलांग (5401), आइजोल (5701), दीमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601), तेजपुर (7994)	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वोक्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वोक्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट बेलतला- बशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 www.sscner.org.in
6.	देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), रुड़की (2005), दिल्ली (2201),	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग,

	अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), उदयपुर (2409), सीकर (2411)		ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नईदिल्ली - 110003 www.sscnr.net.in
7.	चण्डीगढ़ / मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) (1007), लेह (1005), अमृतसर (1404), भटिंडा (1401), जालंधर (1402), पटियाला (1403)।	पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर- 9, चंडीगढ़-160009 www.sscnwr.org
8.	चिराला (8011), गुंटूर (8001), काकीनाड़ा (8009), कर्नूल (8003), नेल्लौर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयनगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुद्दुचेरी (8401), चेन्नै (8201), कोयंबटूर (8202), कृष्णागिरि (8209), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.) / आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैम्पस, कॉलेजरोड, चेन्नै, तमिलनाडु -600006 www.sscsr.gov.in
9.	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), गांधीनगर (7012), मेहसाना (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड (7206), पुणे (7208), आनंद (7011), नासिक (7207)	पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथमतल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 www.sscwr.net

- 13.2 अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।
- 13.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केन्द्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केन्द्र को रद्द कर दे और उस केन्द्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केन्द्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे।
- 13.4 परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके क्षेत्राधिकार में अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केन्द्र आते हैं। इस भर्ती से संबंधित अन्य समस्त कार्यकलापों को उक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

14. परीक्षा की रूपरेखा

- 14.1 इस परीक्षा में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) (सिर्फ हवलदार के पद के लिए) शामिल होंगी।
- 14.2 **कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन हिंदी, अंग्रेजी एवं 13 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात** (i) असमिया, (ii) बांग्ला, (iii) गुजराती, (iv) कन्नड़, (v) कोंकणी, (vi) मलयालम, (vii) मणिपुरी, (viii) मराठी, (ix) उड़िया, (x) पंजाबी, (xi) तमिल, (xii) तेलगु, एवं (xiii) उर्दू में किया जाएगा **(अनुबंध-XV)**।
- 14.3 विज्ञप्ति में उल्लिखित परीक्षा का कार्यक्रम अनंतिम है। परीक्षा के कार्यक्रम में किसी बदलाव के बारे में, अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा।
- 14.4 प्राप्तांकों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनः जांच किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में किसी पत्राचार का उत्तर नहीं दिया जाएगा।
- 14.5 अंग्रेजी और चुनी गई भाषा के बीच प्रश्नों में किसी भी अंतर / विसंगति / विवाद के मामले में, अंग्रेजी संस्करण की सामग्री मान्य होगी।
- 14.6 **कम्प्यूटर आधारित परीक्षा:**

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या / अधिकतम अंक	समय अवधि (सभी चार भागों के लिए)
सत्र-I			45 मिनट
I	संख्यात्मक एवं गणितीय क्षमता	20/60	(पैरा 8 के अनुसार प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 60 मिनट)
II	तर्कशक्ति एवं समस्या समाधान	20/60	
सत्र-II			45 मिनट
I	सामान्य जानकारी	25/75	(पैरा 8 के अनुसार प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 60 मिनट)
II	अंग्रेजी भाषा एवं ज्ञान	25/75	

14.6.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी: सत्र- I और सत्र- II, एक ही दिन और दोनों सत्रों में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। किसी भी सत्र में उपस्थित न होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

14.6.2 अभ्यर्थियों को सत्र-I पूरा करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे। 45 मिनट पूरे होने पर, सत्र-I स्वतः बंद हो जाएगा।

14.6.3 सत्र-I के पूरा होने के तुरंत बाद, सत्र-II प्रारंभ होगा। सत्र-II भी 45 मिनट का होगा और 45 मिनट पूरे होने पर तुरंत सत्र-II और कंप्यूटर आधारित परीक्षा समाप्त हो जाएगी।

14.6.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार, बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। सत्र-I और सत्र-II के सामान्य जानकारी खंड के लिए प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं (अनुबंध-XV में विवरण के अनुसार) में तैयार किए जाएंगे।

14.6.5 सत्र-I में कोई नकारात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। सत्र-II में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नकारात्मक अंक दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें।

14.6.6 अभ्यर्थियों द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यदि कई पालियों (शिफ्टों) में आयोजित की जाती है, तो इसमें प्राप्त अंकों को दिनांक 07.02.2019 की विज्ञप्ति सं. 1-1/2018- नी. एवं यो.- 1 के माध्यम से आयोग द्वारा प्रकाशित सूत्र का प्रयोग करते हुए सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता-सूची और कट-ऑफ अंकों का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा।

14.6.7 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजियों को परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों का अवलोकन कर सकते हैं और यदि इस संबंध में कोई अभ्यावेदन है, तो वे निर्धारित समय के भीतर प्रति प्रश्न 100/- रू का भुगतान कर उसे ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम, जैसे- पत्र, आवेदन, ईमेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले उत्तर कुंजियों के संबंध में अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए सांकेतिक पाठ्यक्रम:

14.7.1 संख्यात्मक एवं गणितीय क्षमता: इसमें पूर्णांक और पूर्ण संख्या, एलसीएम और एचसीएफ, दशमलव और अंश, संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन और बीओडीएमएस, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, कार्य और समय, प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम समानुपात, औसत, साधारण ब्याज, लाभ और हानि, छूट, बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्र और परिधि, दूरी और समय, रेखाएँ और कोण, सरल रेखांकन और डेटा की व्याख्या, वर्ग और वर्गमूल आदि से संबंधित समस्याओं पर प्रश्न शामिल होंगे।

14.7.2 तर्कशक्ति क्षमता एवं समस्या समाधान: इस भाग के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के सामान्य सीखने की क्षमता को मापना है। प्रश्न मोटे तौर पर अल्फा-न्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग और डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलो डायरेक्शन, समानता और अंतर, जंबलिंग, समस्या समाधान एवं विश्लेषण, डायग्राम पर आधारित नॉन-वर्बल रीजनिंग, उम्र की गणना, कैलेंडर और क्लॉक आदि पर आधारित होंगे।

14.7.3 सामान्य जानकारी: परीक्षा का व्यापक क्षेत्र सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल, कला और संस्कृति, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र), सामान्य विज्ञान और 10 वीं कक्षा तक पर्यावरण अध्ययन पर होगा।

14.7.4 अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान: अभ्यर्थियों को अंग्रेजी भाषा की मूल बातें, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द और इसका सही उपयोग आदि की

समझ और ज्ञान का परीक्षण करने के लिए, एक सरल पैराग्राफ दिया जा सकता है और उस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

14.7.5 40% और उससे अधिक के दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इस प्रश्नपत्र में मानचित्र/ग्राफ/आरेख/सांख्यिकीय आंकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे।

14.8 **सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) :** सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) के मानक निम्नानुसार है:

14.8.1 **शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी):**

	पुरुष	महिला
चलना	15 मिनट में 1600 मीटर	20 मिनट में 1 किलोमीटर

14.8.2 महिला अभ्यर्थी, जो जांच के परिणामस्वरूप 12 हफ्ते या उससे ज्यादा समय की गर्भवती पाई जाएगी, उसे अस्थाई तौर पर अनफ़िट घोषित कर दिया जाएगा और उसकी नियुक्ति पर प्रसव तक रोक रखी जाएगी। जिस रिक्ति के विरुद्ध एक महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा उसे उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसव की तिथि के 6 हफ्तों के बाद, पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए पुनः जांच की जाएगी। अगर वह फिट पाई जाती है, तो उसके लिए आरक्षित पद पर उसकी नियुक्ति की जा सकती है और समय समय पर संशोधित, सरकार के निदेशानुसार उसे वरिष्ठता का लाभ भी दिया जा सकता है।

14.8.3 **शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी):** सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार के पद के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नानुसार है:

14.8.3.1 **पुरुष:**

ऊंचाई	सीना
157.5 सेंटीमीटर (गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट)	सीना: 81 सेंटीमीटर (5 सेंटीमीटर के विस्तार के साथ बिना फुलाए)

14.8.3.2 **महिला:**

ऊंचाई	वजन
152 सेंटीमीटर (गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट)	48 किलोग्राम (गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 किलोग्राम की छूट)

14.8.4 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) का आयोजन सीबीआईसी/ सीबीएन द्वारा उनके चयनित विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा।

14.8.5 अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि वे बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिए छूट को छोड़कर, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित मापदंडों को जरूर पूरा करते हों। हवलदार के पद के लिए बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अनुमेय दिव्यांगताओं के लिए कुछ शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) की शर्तों से निम्नलिखित छूट देय हैं:

क्र.सं.	हवलदार के पद हेतु बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए उपयुक्त श्रेणी	शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में छूट
1.	श्रवण दिव्यांग	कोई छूट नहीं
2.	एक बांह प्रभावित	कोई छूट नहीं
3.	एक पैर प्रभावित	चलने से छूट दी जा सकती है
4.	एक बांह एक पैर प्रभावित	चलने से छूट दी जा सकती है
5.	अभिशाधित कुष्ठ	चलने से छूट दी जा सकती है
6.	एसिड हमले के पीड़ित	कोई छूट नहीं, यद्यपि अगर एसिड हमले के कारण अभ्यर्थी ओर्थोपेडिक दिव्यांगता अर्थात एक बांह, एक पैर, और एक बांह एक पैर तब एक बांह, एक पैर, और एक बांह एक पैर के लिए उपर्युक्त छूट दी जा सकती है।
7.	उपर्युक्त श्रेणियों सहित बहु- दिव्यांगता	श्रवण दिव्यांग, एक बांह, एक पैर, एक बांह एक पैर, अभिशाधित कुष्ठ और एसिड हमले के पीड़ित के लिए उपर्युक्त छूट लागू होगी।
प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द: श्र.दि.= श्रवण दिव्यांग, ए.बां=एक बांह, ए.पै.=एक पैर, ए.बां.पै.= एक बांह एक पैर, अ.कु.=अभिशाधित कुष्ठ, ए.ह.पी.=एसिड हमले के पीड़ित, बहु.दि.= बहु- दिव्यांगता।		

14.8.6 उल्लिखित छूट बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों द्वारा एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी / मेडिकल बोर्ड से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के अधीन है जो यह प्रमाणित करता है कि अभ्यर्थी चलने में सक्षम नहीं है।

14.8.7 जो अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में किसी भी छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) के समय वांछित दस्तावेजों को अपने साथ लाना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) के समय सीबीआईसी/ सीबीएन द्वारा उन दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

15. परीक्षा में प्रवेश

15.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार

अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

- 15.2 कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में मांगकर्ता प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। परिणाम घोषित होने के बाद प्रयोक्ता विभागों द्वारा शारीरिक और चिकित्सा मानकों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी यह भी नोट करें की जब भी प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा मांगा जाएगा, उन्हें शै.यो./जाति/श्रेणी आदि के अपने प्रमाण पत्र/दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो./जाति/श्रेणी आदि के प्रमाण पत्र / दस्तावेजों की संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों से नहीं होती है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 15.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा । इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (अर्थात <https://ssc.nic.in>) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा चयनित परीक्षा केंद्र स्थित है, का अवलोकन करते रहें (ब्योरा पैरा 13.1 पर है)।
- 15.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।
- 15.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकृत आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 15.6 परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।
- 15.7 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य, जिसमें वही जन्म तिथि अंकित हो जो प्रवेश-पत्र में छपी है, लाना अनिवार्य है, जैसे:
- 15.7.1 आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,
 - 15.7.2 मतदाता पहचान-पत्र,
 - 15.7.3 डाइविंग लाइसेंस,
 - 15.7.4 पैन कार्ड,
 - 15.7.5 पासपोर्ट,
 - 15.7.6 विश्वविद्यालय / कॉलेज / स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र,
 - 15.7.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)

- 15.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका
15.7.9 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र

- 15.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे-सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 15.9 पैरा 8 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा-उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 15.10 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।
- 15.11 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

16. **दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी):**

16. सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में शीघ्रता लाने हेतु लिए गए निर्णय को देखते हुए, अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) प्रयोक्ता विभागों/संगठनों द्वारा किया जाएगा।
- 16.2 अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान निम्नानुसार विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी जैसे:

16.2.1 मैट्रिक/माध्यमिक प्रमाण पत्र

16.2.2 यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।

16.2.3 यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र ।

16.2.4 यदि लागू हो, तो आवश्यक प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र ।

16.2.5 भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए:

16.2.5.1 यदि लागू हो, तो **अनुबंध-VII** के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र।

16.2.5.2 **अनुबंध- VIII** के अनुसार वचनबंध।

16.2.5.3 यदि सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त किया गया हो, तो सेवामुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र

16.2.6 यदि आयु में कोई छूट चाहते हैं, तो संगत प्रमाण-पत्र

16.2.7 सरकार/सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र

16.2.8 ऐसा अभ्यर्थी जो विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने पर मैट्रिकुलेशन के बाद नाम बदलने का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

16.2.8.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

16.2.8.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

16.2.8.3 महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय विलेख/शपथपत्र;

16.2.8.4 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय विलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

16.2.9 आयोग द्वारा केवल एक बार परिणाम घोषित किया जाएगा और प्रयोक्ता विभागों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों के कार्य ग्रहण न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का बाद में कोई नामांकन नहीं किया जाएगा।

17. पद-सह-राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों (यूटी)/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के संबंध में वरीयताएं:

17.1 मल्टी टास्किंग स्टाफ पद के लिए इस परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों और विभिन्न सांविधानिक निकायों /सांविधिक निकायों/ न्यायाधिकरणों में तैनात किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रारंभ में आवंटित राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। तथापि, प्रयोक्ता विभागों की जरूरतों को देखते हुए, उन्हें अन्य राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों में भी तैनात किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थियों को भारत के किसी भी स्थान पर सेवा देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

17.2 सीबीआईसी में हवलदार के पद के लिए इस परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को देश भर के विभिन्न संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों (सीसीए) में तैनात किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाए कि सीबीआईसी में समय-समय पर होने वाले कैडर पुनर्गठन के अधीन, सीबीआईसी में किसी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के लिए चयनित अभ्यर्थी को पूरे सेवाकाल के दौरान उसी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण में सेवा करनी पड़ेगी, सीबीआईसी के विभिन्न संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार **अनुबंध-XVI** में दिए गए हैं। यह ध्यान दिया जाए कि निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीपीएम), सीबीआईसी का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में है। इसलिए सीबीआईसी में डीजीपीएम आवंटित अभ्यर्थियों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसी प्रकार केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) का मुख्यालय ग्वालियर, एमपी और शाखा कार्यालय नीमच, मध्य प्रदेश, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और कोटा, राजस्थान में है। इसलिए,

सीबीएन आवंटित अभ्यर्थियों को सीबीएन के विभिन्न कार्यालयों में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

- 17.3 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिकता के क्रम में पद-सह-राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों की वरीयता देना अपेक्षित है। वरीयता देने के लिए कोड **अनुबंध- XVII** में दिए गए हैं।
- 17.4 अभ्यर्थी **अनुबंध- XVII** में दी गई सूची के अनुसार सभी पद-सह-राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों के लिए वरीयता दे सकते हैं या अपनी पसंद / सुविधा के अनुसार सीमित प्राथमिकताएं दे सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी सीमित प्राथमिकताओं का विकल्प चुनना चाहता है, तो उसे वरीयता देने के लिए शेष कॉलम/बक्से में 'कोई विकल्प नहीं' यानी 'X' भरना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी वरीयता क्रम में एमटीएस-दिल्ली, हवलदार (सीजीएसटी)- दिल्ली, एमटीएस-राजस्थान, हवलदार (सीजीएसटी)-जयपुर एवं हवलदार (निदेशालय) सीबीएन और एमटीएस-'अखिल भारतीय' के केवल छह विकल्पों का चयन करना चाहता है, तो उसे 20,18,21,19,70,72,X,X,X... के रूप में वरीयता देनी होगी।।
- 17.5 अभ्यर्थियों को केवल उन्हीं पद-सह-राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों की रिक्तियों पर चयन के लिए विचार किया जाएगा, जिनके लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी वरीयता दी है। यदि किसी अभ्यर्थी ने सभी पद-सह-राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों के लिए विकल्प दिया है, तो सभी पद-सह-राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों की रिक्तियों के लिए उसके नाम पर विचार किया जाएगा। तथापि, यदि किसी अभ्यर्थी ने सीमित वरीयताएं दी हैं, तो उसके नाम पर केवल उन्हीं पद-सह-राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा, जिनके लिए उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में वरीयता दी है। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी ने एमटीएस-दिल्ली, हवलदार (सीजीएसटी)- दिल्ली, एमटीएस-राजस्थान, हवलदार (सीजीएसटी)-जयपुर एवं हवलदार (निदेशालय) सीबीएन और एमटीएस-'अखिल भारतीय' के केवल छह विकल्पों के लिए वरीयता दी है, तो उसके नाम पर केवल एमटीएस-दिल्ली, हवलदार (सीजीएसटी)- दिल्ली, एमटीएस-राजस्थान, हवलदार (सीजीएसटी)-जयपुर एवं हवलदार (निदेशालय) सीबीएन और एमटीएस-'अखिल भारतीय' रिक्तियों के लिए ही विचार किया जाएगा और किसी अन्य पद-सह-राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों के लिए विचार नहीं किया जाएगा चाहे अभ्यर्थी की योग्यता और अन्य राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों में उपलब्ध रिक्तियां कितनी भी हों। एमटीएस-'अखिल भारतीय' रिक्तियां किसी राज्य/ संघराज्य क्षेत्र के लिए विशिष्ट नहीं हैं और राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों की एमटीएस रिक्तियों के अलावा हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने केवल एमटीएस-'अखिल भारतीय' के लिए प्राथमिकता दी है, तो, उसे केवल एमटीएस-'अखिल भारतीय' रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा और अन्य राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों में एमटीएस रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 17.6 ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पद-सह-राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों की वरीयता को अंतिम माना जाएगा और किसी भी परिस्थिति में पद-सह-राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों की वरीयता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- 17.7 इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पद-सह-राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों के संबंध में वरीयता देते समय उचित तत्परता व सावधानी बरतें।

- 17.8 अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने चयन की संभावना में बढ़ोत्तरी के लिए अधिकतम वरीयताएं दें।
- 17.9 **अनुबंध-XVII** में उल्लिखित कोड के अनुसार वरीयता दी जानी चाहिए। यदि वरीयता देने के लिए किसी अन्य कोड का उपयोग किया जाता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

18. चयन का तरीका:

- 18.1 एमटीएस के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) में सत्र-I और सत्र-II शामिल होंगे।
- 18.2 पहले सत्र-I में अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और सत्र-II में प्रदर्शन का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा अगर अभ्यर्थी सत्र-I में उत्तीर्ण होता है।
- 18.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के सत्र-I और साथ ही सत्र-II में न्यूनतम अर्हक अंक इस प्रकार हैं:
- | | | | |
|--------|------------------------------|---|-----|
| 18.3.1 | अनारक्षित | : | 30% |
| 18.3.2 | अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस | : | 25% |
| 18.3.3 | सभी अन्य श्रेणियां | : | 20% |
- 18.4 हवलदार के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई), शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) शामिल होगी।
- 18.5 एमटीएस के पद के लिए सत्र-II में श्रेणी-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अलग-अलग कट-ऑफ होगी। चूंकि एमटीएस के लिए रिक्तियां दो आयु समूहों में हैं अर्थात् (i) 18 से 25 वर्ष और (ii) 18 से 27 वर्ष, आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) में अलग-अलग आयु समूह-वार, श्रेणी-वार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार कट-ऑफ निर्धारित कर सकता है।
- 18.6 एमटीएस के पद के लिए, अभ्यर्थियों को सीबीई के सत्र-II में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सीबीई में योग्यता निर्धारित करने के लिए अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग किया जाएगा। योग्यता सूची केवल सत्र-II में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।
- 18.7 हवलदार के पद के लिए, अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के सत्र-II में उनके प्रदर्शन के आधार पर 1:5 (रिक्तियां: अभ्यर्थी) के अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और पेपर- II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) में योग्यता के लिए किया जाएगा। आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के सत्र-II में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण वार और श्रेणी-वार कट-ऑफ निर्धारित कर सकता है।
- 18.8 उपर्युक्त पैरा-18.4, 18.5 और 18.6 के प्रावधानों के अनुसार, एमटीएस एवं हवलदार के पदों के लिए दो अलग-अलग सूचियां जारी की जाएंगी। इसलिए एक ही अभ्यर्थी एमटीएस एवं हवलदार दोनों पदों के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकता है।

- 18.9 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को हवलदार के पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि अभ्यर्थी को एमटीएस के पद के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता एमटीएस के पद के लिए वैध रहेगी।
- 18.10 एमटीएस के पद के लिए, सीबीई के सत्र-॥ में प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता सूची के लिए विचार किया जाएगा।
- 18.11 हवलदार के पद के लिए, सीबीई के सत्र-॥ में प्रदर्शन के आधार पर और पीईटी/पीएसटी में अर्हता प्राप्त करने के अधीन, अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता सूची के लिए विचार किया जाएगा।
- 18.12 अंतिम चयन और पद-सह-राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों का आबंटन अभ्यर्थियों के सीबीई के सत्र-॥ में प्रदर्शन, उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गई पद-सह-राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों की वरीयता और अभ्यर्थियों के आयु-समूह के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों के सत्र-॥ में सामान्यीकृत अंकों का उपयोग योग्यताक्रम निर्धारित करने के लिए किया जाएगा और अभ्यर्थियों के नाम पर केवल उन्हीं पद-सह-राज्य/संघराज्य क्षेत्र/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा जिनके लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अपनी वरीयता दी है। अंतिम परिणाम में, सभी पदों के लिए एक एकल चयन सूची होगी। एक बार पद सह राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों के आवंटित होने के बाद, शारीरिक/चिकित्सा/शैक्षिक मानकों की किसी भी पद से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
- 18.13 जैसाकि एमटीएस की रिक्तियां दो आयु-समूह, अर्थात (i) 18 से 25 वर्ष और (ii) 18 से 27 वर्ष में हैं, अंतिम परिणाम में आयु समूह-वार, राज्यों / संघराज्य क्षेत्र-वार और श्रेणी वार कट-ऑफ अलग-अलग होगी। उन अभ्यर्थियों के लिए जो दोनो आयु-समूह के लिए पात्र हैं, रिक्तियां पहले 18-25 वर्ष के आयु-समूह में भरी जाएंगी।
- 18.14 आबंटित राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों का तदनंतर आबंटन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मानक विधि का प्रयोग करके किया जाएगा।
- 18.15 यदि आयोग की राय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपिव, आकव, भूपूसै, और शारीरिक दिव्यांग श्रेणियों से संबंधित आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मानकों में छूट देकर अर्हक किया जा सकता है।
- 18.16 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूतपूर्व सैनिक और बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणियों के वे अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों /उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्ति, जो भी उनके लिए लाभकारी हो, में सहयोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूतपूर्व सैनिक और बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों से अलग से भरा जाएगा।
- 18.17 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूतपूर्व सैनिक और बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी का अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची

में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशासित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसे के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसे को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

- 18.18 दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हर प्रकार से उपयुक्त हो।
- 18.19 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- 18.20 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अर्धधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 18.21 अंतिम रूप से चयन किए जाने पर अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आवंटित पदों पर अपनी पुष्टि हेतु आवंटित राज्य/संघराज्य क्षेत्र/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।
- 18.22 यदि परीक्षा के किसी भी चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के 60 दिन के भीतर आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए। इस संबंध में निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 18.23 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से अंतिम परिणाम घोषणा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग से तुरंत संपर्क करना चाहिए।
- 18.24 आयोग द्वारा परिणाम केवल एक बार घोषित किया जाएगा और उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, प्रयोक्ता विभागों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों की अस्वीकृति, शामिल न होने के कारण रिक्तियां रह जाने, प्रयोक्ता विभागों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के संचालन के बाद अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने, या किसी अन्य कारण या स्थिति में अभ्यर्थियों का कोई और नामांकन नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, विभाग मौजूदा नियमों के अनुसार रिक्तियों को अगले रिक्ति वर्ष में आगे बढ़ाने के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

18.25 अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद कोई प्रतीक्षा सूची/आरक्षित सूची नहीं होगी।

19. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

19.1 ऐसे मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

- 19.1.1 सत्र -II के सामान्य जानकारी में अंक।
- 19.1.2 सत्र-I में कुल अंक।
- 19.1.3 जन्म तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाती है।
- 19.1.4 वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

20. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

20.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन के दौरान या उसके बाद किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी भी कदाचार के लिए दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्र. सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना अथवा प्रभावित करना	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष

11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को आग्नेय शस्त्रों/हथियारों से डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेशन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

20.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

21. **आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची और संगठनों के आबंटन, कदाचार में संलिप्त होने पर वारित करने से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछ-ताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगी।
22. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार :** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उन न्यायालयों/अधिकरणों के अधीन होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।
23. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.संख्या 39020/1/2016-स्था.(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग के क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा :**(i)** अभ्यर्थी का नाम **(ii)** पिता/पति का

नाम (iii) जन्म तिथि (iv) श्रेणी (सामान्य / अजा / अजजा / अपिव / आकव / शादि / अल्पसंख्यक) (v) अभ्यर्थी का लिंग (vi) शैक्षिक योग्यता (vii) अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यताक्रम का निर्धारण किया गया है (ix) पूरा पता (x) ई-मेल पता। तथापि, आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के पास सार्वजनिक रूप से उपर्युक्त विवरणों को प्रकट न करने का विकल्प रहेगा। तदनुसार, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और रैंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे जिन्होंने उपर्युक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया अथवा अनजाने में विकल्प नहीं चुना है।

- 24. अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

25. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
(ख)	अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(ग)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में मांगकर्ता प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। परिणाम घोषित होने के बाद प्रयोक्ता विभागों द्वारा शारीरिक और चिकित्सा मानकों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी यह भी नोट करें की जब भी प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा मांगा जाएगा, उन्हें शै.यो./जाति/श्रेणी आदि के अपने प्रमाण पत्र/दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो./जाति/श्रेणी आदि के प्रमाण पत्र / दस्तावेजों की संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों से नहीं होती है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(घ)	अजा/अजजा/अपिव/ईडब्लूएस/भू.सै./बे.शा.दि. के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ङ.)	केवल बेंचमार्क दिव्यांगजन वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांगजन (शा.दि.) माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।

(च)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।
(छ)	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा बेंचमार्क दिव्यांगजन को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।
(ज)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(झ)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 3 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाइन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-12 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को अनदेखा कर दिया जाएगा।
(ञ)	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
(ट)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के किसी भी ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
(ठ)	लघु/धुंधली/अस्पष्ट फोटोग्राफ और/या फोटो प्रारूप के अनुसार नहीं होने वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इसी तरह, लघु/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।
(ड)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(ढ)	आयोग सक्षम प्राधिकारी से उचित प्राधिकरण के अधीन सत्यापन उद्देश्य के लिए अभ्यर्थियों के आधार डेटा का उपयोग कर सकता है।
(ण)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/ विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/उपक्रम), रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भू.सै. सेवामुक्ति पुस्तिका, या केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि मुद्रित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपने जन्मतिथि के साक्ष्य में अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र (पैरा 15.7 के अनुसार) लाना चाहिए। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में लाने वाले फोटो पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र तथा प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि बेमेल होने के मामले में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं

	दी जाएगी। बेंचमार्क दिव्यांगजन / दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 8 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लानी होगी।
(त)	ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अभ्यर्थियों को राज्य/ संघराज्य क्षेत्रों /सीसीए को प्राथमिकता देने में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी पद और राज्य/ संघराज्य क्षेत्र/सीसीए के लिए किसी अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह इसके लिए अपनी प्राथमिकता नहीं बताता है। एक बार प्रस्तुत की गई प्राथमिकता को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा। इस संबंध में पोस्ट, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(थ)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(द)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या अगले स्तर की परीक्षा प्रारंभ होने से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए।
(ध)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(न)	ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अभ्यर्थी की फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए। फोटोग्राफ में चेहरे के सामने का हिस्सा स्पष्टतः दिखाई देना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के नमूने जो स्वीकार्य/अस्वीकार्य हैं, अनुबंध-V में दिए गए हैं।

अवर सचिव (नी. एवं यो.-I)
दिनांक 30.06.2023

अनुबंध- I

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री , ग्राम/जिला/राज्य के निवासी हैं, जोकि(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा - उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं को प्रभावित करती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध- I क

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री / सुश्री / श्रीमती(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री , निवासी(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु वर्ष, (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और _____ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम))	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-II

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका..... (जिले का नाम)
(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) में स्थित(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक
..... है।

मेरी शैक्षिक योग्यता है।

मैं सूचित करता/करती हूं कि (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त
परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता है । यदि बाद में यह पता
चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक
योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-II क

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र

मैं _____, _____ (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित अभ्यर्थी,
_____ जिला, _____ (राज्य का नाम) में स्थित _____ (केंद्र
का नाम), से _____ (परीक्षा का नाम) में बैठ रहा हूं, जिसका रोल नंबर _____ है।
मेरी शैक्षिक योग्यता _____ है।

2. मैं एतद्वारा व्यक्त करता हूं कि _____ (प्रलिपिक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए प्रलिपिक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्वारा वचन देता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और उसकी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-III

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बारगी पंजीकरण

II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'एक बारगी पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या । यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
 - घ. बोर्ड, अनुक्रमांक और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
 - ङ. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या, यदि आप बैचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं ।
3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क. मूलभूत विवरण
 - ख. अतिरिक्त जानकारीयां और संपर्क विवरण
 - ग. घोषणा।
5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:
 - क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है । यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा ।
 - ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या / पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है।
 - ग. क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है । यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।
 - घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
 - ङ. क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

- च. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है ।
- छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:
 i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 ii. अनुक्रमांक
 iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज. क्रम संख्या-7: लिंग
- झ. क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (सर्वोच्च)
- ञ. क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इस ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ. अपने स्थायी पते के राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेजा जाता है तथा स्क्रीन पर आपके पंजीकरण संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर आपके अब तक के भरे गए 'मूलभूत विवरण' से संबंधित सूचना प्रदर्शित की जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें संपादन कर सकते हैं अथवा अपना एक बारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए स्क्रीन के सबसे नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
- द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें
- न. क्रम संख्या-13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी विशिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

- फ. क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें । ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें तथा 'अंतिम सबमिट' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूँ' पर क्लिक करें ।
- म. 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको संबंधित किसी एक ओटीपी दर्ज करना होगा।
6. हालांकि आप अपने एक बारगी पंजीकरण डाटा को संपादित / संशोधित कर सकते हैं, तथापि एक बारगी पंजीकरण में विवरण भरने के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतें। गलत / त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है ।
7. **आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।**
8. मूलभूत सूचनाओं को प्रदान करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

अनुबंध- IIIक(1/4)

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? * Yes No

1a. Aadhaar Number
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID *
Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number *

2a. Name *
1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i.e. Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name *

2c. Have you ever changed Name? Yes No

2d. New Name / Changed Name

3a. Father's Name *
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)

3b. Verify Father's Name *

4a. Mother's Name *
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i.e. Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name *

5a. Date Of Birth (DD/MM/YYYY) *
Date Of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *
Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

(iii). Roll Number *
1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

अनुबंध- IIIक(2/4)

(iv). Verify Roll Number *	<input type="text" value="301739"/>
(v). Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
(vi). Verify Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
7a. Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
7b. Verify Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
8. Level of Educational Qualification *	<input type="text" value="Graduation"/>
9a. Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
9b. Verify Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
10a. Email ID *	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
10b. Verify Email ID *	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
• State / UT of Permanent Address *	<input type="text" value="Delhi"/>

अनुबंध-IIIक(3/4)

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

[Edit](#)

11a. Category * General EWS OBC ST SC

11b. Verify Category * General EWS OBC ST SC

12. Nationality *

13. Identification Marks *

14a. Are you a Person with Benchmark Disability (PwBD)? * Yes No

14b. Type of Disability

NOTE

VH: Blindness and low vision.

HH: Deaf and hard of hearing.

OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.

Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address *

15b. State/ UT *

15c. District *

15d. PIN Code *

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address *

17b. State/ UT *

17c. District *

17d. PIN Code *

18. Contact details for other nationals

[Previous](#)

[Save](#)

[Next](#)

[Reset](#)

[Close](#)

अनुबंध-IIIक (4/4)

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

Previous

Take Draft Print

Final Submit

Close

अनुबंध-IV

भाग-II (ऑनलाईन आवेदन फॉर्म)

1. ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:

क. हाल का **(अर्थात परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं)** जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य के मामले [2018 की रिट याचिका (सि) सं. 234] में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.03.2020 के आदेश के अनुसरण में फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे का होना चाहिए। सामने का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। **धुंधली फोटो वाले आवेदन**

पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृत / अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं।

ख. जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।**

ग. शैक्षिक योग्यता जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक संख्या, प्रतिशत / सीजीपीए, बोर्ड का नाम आदि का ब्योरा।

2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत **'मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ एवं हवलदार (सीबीआईसी एवं सीबीएन) परीक्षा, 2023'** सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं. 1 से 14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। **यद्यपि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण ब्योरे में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अपने डैशबोर्ड के बाएं हाथ के ऊपरी कोने में प्रदान की गई 'Modify Registration' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।**
5. क्रम संख्या-15: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा-13 देखें।
6. क्रम संख्या-16: उस भाषा का चयन करें जिसमें आप कम्प्यूटर आधारित परीक्षा देना चाहते हैं। परीक्षा हेतु भाषाओं की सूची विज्ञप्ति के **अनुबंध-XV** में दी गई है।
7. क्रम संख्या-17: यदि आप सशस्त्र बल में सेवारत अथवा एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए वे 'नहीं' विकल्प का चयन करें।
8. क्रम संख्या-18.1: सूचना प्रदान करें कि आप दृष्टिहीनता (द.दि.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 18.1 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40 प्रतिशत द.दि. (दृष्टिहीनता /अल्प द.) के साथ बहु दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 8.1 का संदर्भ लें।
9. क्रम संख्या-18.2: सूचना प्रदान करें कि आप, अस्थि दिव्यांग- दोनों बांह प्रभावित (अ.दि.- दो.बा.) अथवा अस्थि दिव्यांगता- प्रमस्तिष्क पक्षाघात (अ.दि.- प्र.प.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांजन – अ.दि. और बेंचमार्क दिव्यांजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 18.1 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40 प्रतिशत अ.दि.- दो.बा. अथवा अ.दि.- प्र.प. दिव्यांगता के साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 8.1 का संदर्भ लें।
10. क्रम संख्या-18.3: परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 8.2 अथवा 8.3 के अनुसार यदि आप शारीरिक रूप से लिखने में सक्षम नहीं हैं और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो चयन करें। यह विकल्प उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जो क्रम सं. 9.1 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांजन – द.दि. अभ्यर्थी हैं अथवा जिन्होंने क्रम सं. 18.1 या 18.2 में 'Yes' का चयन किया हो। यह विकल्प बेंचमार्क दिव्यांजन तथा गैर बेंचमार्क दिव्यांजन सभी

अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 9 के अनुसार, क्रम सं. 18.3 में 'Yes' का चयन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-1 के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। क्रम सं. 9 के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांजन से भिन्न अभ्यर्थी (अर्थात् 40 प्रतिशत कम दिव्यांगता वाले) जिन्होंने क्रम सं. 18.3 में 'Yes' का चयन किया है, प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-1क के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-8.2 और 8.3 देखें।

11. क्रम संख्या-18.4 से 18.6: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-8 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें। ये विकल्प केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा जिन्होंने क्रम सं. 18.1 अथवा 18.2 या 18.3 में 'Yes' का चयन किया हो।
12. क्रम संख्या-19: यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो आयु-छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें।
13. क्रम संख्या-20: प्राथमिकता के क्रम में पद-सह-राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के लिए अपनी वरीयता इंगित करें। आपको सलाह दी जाती है कि आपको जैसा अच्छा लगे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के लिए एक से अधिक वरीयता दें।
14. क्रम संख्या-21: कृपया अपनी सर्वोच्च योग्यता इंगित करें।
15. क्रम संख्या-22: पात्र शैक्षिक योग्यता का ब्योरा प्रदान करें।
16. क्रम संख्या-23: कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा संख्या-23 देखें और तदनुसार भरें।
17. क्रम संख्या-24, 25 और 26: वर्तमान तथा स्थायी पता से संबंधित सूचना एक बारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
18. अपना हाल का फोटोग्राफ अपलोड करें (परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए) जैसा कि उपर्युक्त क्रम संख्या-1क पर निर्दिष्ट किया गया है। धुंधले फोटोग्राफ वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। **स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं। अभ्यर्थी उसका संदर्भ लें।**
19. जैसा कि ऊपर क्रम संख्या-1ख पर विनिर्दिष्ट किया गया है अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। **अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।**
20. क्रम संख्या-27: उपर्युक्त अपलोड किया गया फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने के तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि अपलोड किया गया फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं है तो 'Yes' पर क्लिक करें।
21. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि आप स्वीकार करते हैं तो "मैं सहमत हूँ" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।
22. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। अगर आप किसी भी प्रविष्टि का संशोधन करना चाहते हैं तो 'Edit/Modify' बटन दबाएं और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन कर लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है तो जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन 'सबमिट' करें।
23. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
24. शुल्क का भुगतान बीएचआईएम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग कर ऑनलाइन माध्यम से तथा एसबीआई चालान

जेनरेट कर एसबीआई के शाखा में नकद के रूप में किया जा सकता है। शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-11 का संदर्भ लें।

25. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति '**आवेदन प्राप्त (सामग्री सत्यापित नहीं है)**' के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।

अनुबंध-IV क (1/4)

MULTI TASKING (NON-TECHNICAL) STAFF, AND HAVALDAR (CBIC & CBN) EXAMINATION, 2023

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	GAURAVK
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name:	XYZ
4. Mother's Name:	XYZ
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):	02/01/2000
6. Age as on 01/08/2023:	23.6
7. Gender:	Male
8. Category:	UR
9. Whether Person with Disability (PwBD)? :	No
9.1. If Yes, Type of Disability:	
10. Nationality:	Citizen of India
11. Mark of Visible Identification:	NA
12. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	Central Board of Secondary Education (CBSE)
13. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	6789
14. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	2014
15. Preference of Examination Centres:*	Center 1 <input type="checkbox"/> Center 2 <input type="checkbox"/> Center 3 <input type="checkbox"/>
16. Medium for Computer Based Examination (CBE): *	--Select--
Verify Medium for Computer Based Examination (CBE):	--Select--
17.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :*	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
17.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	

अनुबंध-IV क (2/4)

17.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

17.4. Length of service in the Armed Forces:

17.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM):

Yes No

[Please refer to the Notice of Examination, Para-6.4](#)

17.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

18.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Blindness (VH)?:

Yes No

[Please refer to the Notice of Examination, Para-8.1](#)

18.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of OH- Both Arms Affected (OH-BA) or OH- Cerebral Palsy (OH-CP)?:

Yes No

[Please refer to the Notice of Examination, Para-8.1](#)

18.3. Do you have a physical limitation to write as per Para 8.2 or 8.3 of the Notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-I/ Annexure-IA to the Notice of Examination, would be required at the time of Examination.)? :

Yes No

18.4. Whether scribe is required?:

Yes No

[Please see Para -8 of the Notice](#)

18.5. Will you make your own arrangement of Scribe?:

Yes No

18.6. If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate medium:

19.1. Whether seeking Age Relaxation? *

Yes No

19.2. If Yes, Age Relaxation code:

[Please see Para - 6.2 of the Notice](#)

State(s) / U.T.(s)/ CCA(s)					
Codes	State(s) / U.T.(s)/ CCA(s)	Codes	State(s) / U.T.(s)/ CCA(s)	Codes	State(s) / U.T.(s)/ CCA(s)
11	Chandigarh : Havaladar-CGST	32	Odisha : MTS	53	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu : MTS
12	Chandigarh : MTS	33	Sikkim : MTS	54	Goa : MTS
13	Haryana : MTS	34	West Bengal : MTS	55	Gujarat : MTS
14	Himachal Pradesh : MTS	35	Guwahati : Havaladar-CGST	56	Maharashtra : MTS
15	Jammu and Kashmir : MTS	36	Arunachal Pradesh : MTS	57	Chennai : Havaladar-CGST
16	Ladakh : MTS	37	Assam : MTS	58	Hyderabad : Havaladar-CGST
17	Punjab : MTS	38	Manipur : MTS	59	Chennai : Havaladar-Customs
18	Delhi : Havaladar-CGST	39	Meghalaya : MTS		

अनुबंध-IV क (3/4)

20. Preference of State(s)/ UT(s)/ CCA(s): *

	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Reset

Filing of all preferences is mandatory. However, if you want to give limited preferences then enter 'X' in remaining boxes.

21. Highest Educational Qualification: *

--Select--

22. Details of Qualifying Educational Qualification: *

--Select Education--

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
--Select Statu	--Select Year--	--Select State--	--Select a Board/ Universi			

23. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(P) dated 21/06/2016? *

Yes No

[Please see Para - 23 of the Notice](#)

24. Correspondence Address:

XYZ

State:

Uttar Pradesh

District:

Muzaffar Nagar

Pin:

251201

25. Permanent Address

XYZ

State:

Uttar Pradesh

Pin:

251201

Mobile Number:

0

Email:

sample@ymail.com

अनुबंध-IVक (4/4)

26. Contact Details for Other Nationals:

Photograph And Signature

Upload a photograph without
Spectacles/Cap taken on or after 21-
Apr-2023 *
Allowed File Size: 20 KB to 50 KB
Format: JPEG/ JPG
Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5
cm (height)
 No file chosen

Upload Signature *
Allowed File Size: 10 KB to 20 KB
Format: JPEG/ JPG
Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0
cm (height)
 No file chosen

27. Whether the photograph has been taken on or after Yes No
21-Apr-2023? :

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.
3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated.
4. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose.*

*Verification will be subject to authorization from competent authority.

I Agree



Try Another

ENTER TEXT

Preview

Reset

Close

अनुबंध-V

फोटोग्राफ के नमूने
स्वीकृत फोटोग्राफ



अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने

अत्यधिक रंगीन



बहुत नजदीक




टोपी के साथ



धुंधले फोटोग्राफ



उल्टी फोटो



अत्यधिक गहरा रंग



धूप वाले चश्मे के साथ



तिरछी दृश्यमान फोटो



बहुत छोटी



चश्मे के साथ



अनुबंध-VI

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रू के वेतनमान में _____ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं। उन्हें अंतिम तिथि को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं।

इस कार्यालय को उनके 'मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टॉफ एवं हवलदार (सीबीआईसी एवं सीबीएन) परीक्षा, ----- ' में उनके शामिल होने से कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर _____
नाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:
दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

अनुबंध- VII

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____ (रैंक) _____ (नाम) _____ (दिनांक) _____ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय की मुहर:

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध-VIII

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं , अनुक्रमांक
..... परीक्षा, 20..... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:
(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।
(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा
(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को कार्यालय में..... पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा
(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को कार्यालय में..... पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;
मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:
कार्यमुक्ति की तिथि:
अंतिम इकाई / कोर:
मोबाइल नंबर:
ईमेल आईडी:.....

अनुबंध-IX

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या मूल प्रतिलिपि ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री _____
निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के
_____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* _____

संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* _____

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित
संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959.

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007@
%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के माता/पिता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान _____

दिनांक _____

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा २० में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

अनुबंध-X

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____ ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं ----- दिनांक -----* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

श्री/श्रीमती/कु० ----- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश
उपायुक्त आदि

दिनांक:
मुहर:

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

अनुबंध- XI

..... सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र
प्रमाण-पत्र संख्या _____ दिनांक _____
वर्ष लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी
स्थायी निवासी _____ गाँव/गली _____ डाकघर _____
जिला _____ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र _____ पिन कोड _____ जिनकी फोटो
नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष के लिए उनकी
/उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार
के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
 - II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
 - III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 - IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड ।
1. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....
नाम
पद.....

आवेदक के हाल ही के पासपोर्ट
आकार की सत्यापित फोटो

* नोट 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

** नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

अनुबंध-XII

प्रारूप-V

निशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----- जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में ----- निदान किया गया है ।

(ग) वे दिशानिर्देशों ----- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने -- ----- (शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में ----- %(अंकों में) ----- % (शब्दों में) स्थायी गतिविषयक दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)
उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XIII

प्रारूप-VI

**निशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु निशक्तता संबंधी मामलों में)
[नियम 18(1) देखें]**

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री --
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष
पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली -----
डाकघर ----- जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर
चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामलाबहुनिःशक्तता है । उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों
(दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए
मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिजीज़			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में प्रतिशत

शब्दों में प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£उदाहरणः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रारूप-VII
निशक्तता प्रमाण पत्र
(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)
[नियम 18(1) देखें]

निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री --
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष
पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या -----, जोकि मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली -----
--- डाकघर ----- जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो
ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे निशक्तता से
पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको
जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे
निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिजीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

- उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।
- निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है
अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र
..... (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आंखे

€ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है
जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है,
तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह
जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

प्रश्नपत्र-II के लिए भाषाएं

क्रम संख्या	भाषा	कोड
01	हिन्दी	01
02	अंग्रेजी	02
03	असमी	03
04	बंगाली	04
05	गुजराती	07
06	कन्नड़	08
07	कोंकणी	10
08	मलयालम	12
09	मणिपुरी (मेइतेई अथवा मेइथेई भी)	13
10	मराठी	14
11	उड़िया (ओड़िया)	16
12	पंजाबी	17
13	तमिल	21
14	तेलुगू	22
15	उर्दू	23

सीबीआईसी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार

क्रम सं.	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के प्रकार	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण का नाम	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	सीजीएसटी	बेंगलुरु	कर्नाटक

2.	सीजीएसटी	भोपाल	औरंगाबाद और नासिक के अधीन क्षेत्रों को छोड़कर, नागपुर संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से
3.	सीजीएसटी	भुवनेश्वर	ओडिशा
4.	सीजीएसटी	चंडीगढ़	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
5.	सीजीएसटी	चेन्नै	तमिलनाडु और पुडुचेरी
6.	सीजीएसटी	तिरुवनंतपुरम	केरल और लक्षद्वीप
7.	सीजीएसटी	दिल्ली	दिल्ली और हरियाणा
8.	सीजीएसटी	गोवा	गोवा
9.	सीजीएसटी	हैदराबाद	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
10.	सीजीएसटी	जयपुर	राजस्थान
11.	सीजीएसटी	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम।
12.	सीजीएसटी	लखनऊ	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
13.	सीजीएसटी	मुंबई	महाराष्ट्र (मुंबई सीजीएसटी के अधीन आयुक्तालय) पुणे सीजीएसटी और नागपुर सीजीएसटी के अधीन आयुक्तालयों को छोड़कर
14.	सीजीएसटी	नागपुर	नागपुर संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण - औरंगाबाद और नासिक के आयुक्तालय के अधीन क्षेत्र
15.	सीजीएसटी	पुणे	महाराष्ट्र (पुणे सीजीएसटी के तहत आयुक्तालय) मुंबई सीजीएसटी और नागपुर सीजीएसटी के तहत आयुक्तालयों को छोड़कर
16.	सीजीएसटी	रांची	बिहार और झारखंड
17.	सीजीएसटी	गुवाहाटी	मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा
18.	सीजीएसटी	वडोदरा	गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव
19.	सीमा शुल्क	चेन्नै	तमिलनाडु और पुडुचेरी
20.	सीमा शुल्क	तिरुवनंतपुरम	केरल और लक्षद्वीप
21.	सीमा शुल्क	गोवा	गोवा
22.	सीमा शुल्क	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
23.	सीमा शुल्क	मुंबई	महाराष्ट्र (नागपुर सीजीएसटी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के अधीन क्षेत्रों को छोड़कर)
24.	सीमा शुल्क	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
25.	निदेशालय	निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
26.	निदेशालय	केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो	केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय ग्वालियर में है और शाखा कार्यालय मध्य प्रदेश में नीमच, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और राजस्थान में कोटा में

			हैं।
--	--	--	------

अनुबंध-XVII

पद	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र /संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण का नाम	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र / संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	कोड	क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	चंडीगढ़	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	11	पश्चिमोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	चंडीगढ़	संघ राज्य क्षेत्र	12	पश्चिमोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	हरियाणा	राज्य	13	पश्चिमोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	हिमाचल प्रदेश	राज्य	14	पश्चिमोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	जम्मू और कश्मीर	राज्य	15	पश्चिमोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	लद्दाख	संघ राज्य क्षेत्र	16	पश्चिमोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	पंजाब	राज्य	17	पश्चिमोत्तर क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	दिल्ली	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	18	उत्तरी क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	जयपुर	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	19	उत्तरी क्षेत्र
एमटीएस	दिल्ली	राज्य	20	उत्तरी क्षेत्र
एमटीएस	राजस्थान	राज्य	21	उत्तरी क्षेत्र
एमटीएस	उत्तराखंड	राज्य	22	उत्तरी क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	लखनऊ	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	23	मध्य क्षेत्र
एमटीएस	बिहार	राज्य	24	मध्य क्षेत्र
एमटीएस	उत्तर प्रदेश	राज्य	25	मध्य क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	भुवनेश्वर	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	26	पूर्वी क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	कोलकाता	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	27	पूर्वी क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	रांची	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	28	पूर्वी क्षेत्र
हवलदार-सीमा शुल्क	कोलकाता	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	29	पूर्वी क्षेत्र

एमटीएस	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	संघ राज्य क्षेत्र	30	पूर्वी क्षेत्र
एमटीएस	झारखंड	राज्य	31	पूर्वी क्षेत्र
एमटीएस	ओडिशा	राज्य	32	पूर्वी क्षेत्र
एमटीएस	सिक्किम	राज्य	33	पूर्वी क्षेत्र
एमटीएस	पश्चिम बंगाल	राज्य	34	पूर्वी क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	गुवाहाटी	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	35	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	अरुणाचल प्रदेश	राज्य	36	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	असम	राज्य	37	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	मणिपुर	राज्य	38	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	मेघालय	राज्य	39	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	मिजोरम	राज्य	40	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	नागालैंड	राज्य	41	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एमटीएस	त्रिपुरा	राज्य	42	पूर्वोत्तर क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	भोपाल	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	43	म.प्र.क्षे.
एमटीएस	छत्तीसगढ़	राज्य	44	म.प्र.क्षे.
एमटीएस	मध्य प्रदेश	राज्य	45	म.प्र.क्षे.
हवलदार-सीजीएसटी	गोवा	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	46	पश्चिमी क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	मुंबई	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	47	पश्चिमी क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	नागपुर	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	48	पश्चिमी क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	पुणे	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	49	पश्चिमी क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	वडोदरा	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	50	पश्चिमी क्षेत्र
हवलदार-सीमा शुल्क	गोवा	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	51	पश्चिमी क्षेत्र
हवलदार-सीमा शुल्क	मुंबई	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	52	पश्चिमी क्षेत्र
एमटीएस	दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	संघ राज्य क्षेत्र	53	पश्चिमी क्षेत्र
एमटीएस	गोवा	राज्य	54	पश्चिमी क्षेत्र
एमटीएस	गुजरात	राज्य	55	पश्चिमी क्षेत्र
एमटीएस	महाराष्ट्र	राज्य	56	पश्चिमी क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	चेन्नै	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	57	दक्षिणी क्षेत्र
हवलदार-सीजीएसटी	हैदराबाद	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	58	दक्षिणी क्षेत्र
हवलदार-सीमा शुल्क	चेन्नै	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	59	दक्षिणी क्षेत्र
हवलदार-सीमा शुल्क	विशाखापत्तनम	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	60	दक्षिणी क्षेत्र

एमटीएस	आंध्र प्रदेश	राज्य	61	दक्षिणी क्षेत्र
एमटीएस	तमिलनाडु और पुडुचेरी	राज्य	62	दक्षिणी क्षेत्र
एमटीएस	तेलंगाना	राज्य	63	दक्षिणी क्षेत्र
हवलदार- सीजीएसटी	बेंगलुरु	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	64	के.क.क्ष.
हवलदार- सीमा शुल्क	तिरुवनंतपुरम (कोचीन)	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	65	के.क.क्ष.
हवलदार- सीजीएसटी	तिरुवनंतपुरम (कोचीन)	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	66	के.क.क्ष.
एमटीएस	कर्नाटक	राज्य	67	के.क.क्ष.
एमटीएस	केरल	राज्य	68	के.क.क्ष.
एमटीएस	लक्षद्वीप	संघ राज्य क्षेत्र	69	के.क.क्ष.
हवलदार- निदेशालय	केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	70	
हवलदार- निदेशालय	निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	71	
एमटीएस	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	72	

* एमटीएस की अखिल भारतीय रिक्तियां उपर्युक्त दर्शाए गए राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों की एमटीएस रिक्तियों के अतिरिक्त हैं और किसी राज्य/ संघराज्य क्षेत्र के विशिष्ट नहीं हैं ।

रिक्त पदों का विवरण (सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार)

क्रम सं.	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के प्रकार	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	अना	अजा	अजजा	अपिव	आकव	योग	भूपूसै	अ. दि.	श्र.दि.	दृदि.	बेंचमार्क दिव्यांजन-अन्य
1	सीजीएसटी	औरंगाबाद	10	1	0	7	4	22	0	0	0	0	0
2	सीजीएसटी	बेंगलुरु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	सीजीएसटी	भोपाल	0	1	1	0	2	4	0	0	0	0	0
4	सीजीएसटी	भुवनेश्वर	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
5	सीजीएसटी	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	सीजीएसटी	चेन्नै	8	3	2	5	2	20	2	1	0	0	0
7	सीजीएसटी	दिल्ली	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
8	सीजीएसटी	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सीजीएसटी	गुवाहाटी	25	3	15	10	5	58	5	1	1	0	0
10	सीजीएसटी	हैदराबाद	2	2	0	0	1	5	1	0	0	0	0
11	सीजीएसटी	जयपुर	3	1	0	2	1	7	0	0	0	0	1
12	सीजीएसटी	कोलकाता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	सीजीएसटी	लखनऊ	4	2	0	3	1	10	1	0	0	0	0
14	सीजीएसटी	मुंबई	13	4	2	6	0	25	3	0	0	0	1
15	सीजीएसटी	पुणे	0	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0
16	सीजीएसटी	रांची	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	सीजीएसटी	तिरुवनंतपुरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	सीजीएसटी	वडोदरा	51	19	10	34	13	127	13	1	1	1	1
19	सीमा शुल्क	चेन्नै	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20	सीमा शुल्क	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	सीमा शुल्क	कोलकाता	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
22	सीमा शुल्क	मुंबई	0	6	1	5	4	16	1	0	0	0	0
23	सीमा शुल्क	तिरुवनंतपुरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	सीमा शुल्क	विशाखापत्तनम	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25	निदेशालय	केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो	17	3	3	0	0	23	3	0	0	0	1

26	निदेशालय	निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय	16	4	2	8	2	32	2	0	0	0	0
योग			153	52	38	81	36	360	31	3	2	1	4